.....का पक्ष हो।

5/24

पत्रावली पेश। वकील सभी हाजिर। वकीलगण के प्रतिवादीगणों की सांकेतिक पेशकश हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया तुमसे लेकिन पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी अब तिथि तक तामिल की रसीद पेश नहीं। अतः वादिगण द्वारा अन्तर्वर्ती निषेधाज्ञा लगाये जाने की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर दफ्तर किया जाकर सांकेतिक पेश रहे।